न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री बी0एल0मेहरड़ा, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—450 / 2016 / 223 (2016 / 00450

1. विश्राम पुत्र स्व0 लक्ष्मण,
2. गीता पुत्री स्व0 लक्ष्मण,
3. तुलसी पत्नि स्व0 लक्ष्मण,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम साखुन, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. छीतरलाल पुत्र स्व0 छोटू,
2. नारायण पुत्र स्व0 छोटू,
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम साखुन, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंटस

4. नाराज पत्नि स्व0 जयराम,
5. राजू पुत्र स्व0 जयराम,
6. पूजा पुत्री स्व0 जयराम,
7. कुमकुम पुत्री स्व0 जयराम,
8. प्रिया पुत्री स्व0 जयराम,
   रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 8 नाबालिग जरिये सरंक्षक माता श्रीमती नाराज पत्नि स्व0 जयराम ।
   समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम साखुन, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

प्रफोर्मा रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व प्रारंभिक डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू दिनांक 25.11.2014 अंतर्गत वाद संख्या 68 / 2014.

उपस्थितः—

1. श्री एन0एस0 पारीक एवं श्री दीपक पारीक, वकील अपीलांटस।
2. श्री दिनेश कुमार एवं श्री पन्नालाल चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 .
3. श्री धर्मवीर चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 .
4. रेस्पो0 संख्या 4 लगायत 8 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 28.6.2019

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 25.11.2014 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।

2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष एक वाद बाबत् तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा पेश कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात खसरा नंबर 1684/5349, 1685, 1686, 1696, 1697, 1698, 1704/5310, 1705, 1820, 1821, 1822, 1823, 1866, 1867, 1868, 1869, 1870, 1871, 1872, 1884, 1885 कुल किता 21 कुल रकबा 11.83 हे0 वाके ग्राम साखुन तहसील दूदू में स्थित है जो वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 की संयुक्त खातेदारी की आराजियात है जिसमें वादीगण का 1/2 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 8 का 1/2 हिस्सा है जिस पर हिन्से अनुसार आपसी सहमति व रजामंदी से विभाजन कर मौके पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है । विवादित आराजियात का विधिवत् तकासमा नहीं होने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 के मध्य मेर, कोर व लगान को लेकर आए दिन झगड़ा होता रहता है तथा वादीगण अपने हिस्से की आराजी पर ऋण लेकर अधिक उपजाउ व विकसित करने से महरूम रह जाते है । अतः वाद स्वीकार कर विवादित आराजियात का वादपत्र में दर्शाये अनुसार डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने दिनांक 25.11.2014 को निर्णय पारित कर वाद में प्राथमिक डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया । रेस्पो0 संख्या 1 व 2 उपस्थित, शेष रेस्पो0 संख्या 5 लगायत 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित । अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांटस ने बहस में अपीलमीमों में उल्लेखित तथ्यों की ताईद करते हुए कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिक प्रक्रिया एवं विधिक प्रावधानों की पूर्ण पालना किये बिना अवैधानिक रूप से पारित की गई है जो काबिल निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष पत्रावली दावा एवं जवाबदावा के आधार पर तनकियात कायम किये जाने के स्तर पर नियत थी ऐसी स्थिति में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेशात्मक प्रावधान आदेश 14 के तहत तनकियात कायम की जाकर तथा पक्षकारों के बयान लेखबद्ध किए जाने के उपरांत दानों पक्षों की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री पारित किया जाना चाहिये था लेकिन अधी0न्याया0 ने उक्त प्रक्रिया के विपरीत सीधे ही प्राथमिक डिक्री पारित करने में घोर अनियमितता कारित की है । बहस में आगे कथन किया कि अधी0न्याया0 द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री में अधी0न्याया0 द्वारा पक्षकारों के हिस्से तय नहीं किए गए है । अपने निर्णय में यह भी अंकित नही किया है कि विवादित आराजियात में किस पक्षकार का कितना हिस्सा रहेगा जबकि प्राथमिक डिक्री में संपूर्ण आराजियात में निहित पक्षकारों के हिस्से का अंकन किया जाना अतिआवश्यक है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिक प्रक्रिया व विधिक प्रावधानों का उल्लघंन करते हुए निर्णय व डिक्री में पक्षकारों के हिस्से को अलग–अलग दर्शाए बिना प्राथमिक डिक्री पारित की है जो पूर्णतया अवैधानिक होकर काबिल निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांटस स्वीकार कर विद्वान अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री दिनांक 25.11.2014 निरस्त की जावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांटस ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने जब अपने अधिवक्ता से संपर्क किया तब अभिभाषक महोदय द्वारा यह जानकारी दी कि अधी0न्याया0 ने प्राथमिक डिक्री पारित कर दी है जो गलत है जिसे

अपील के माध्यम से चुनौती दिया जाना आवश्यक है । तत्पश्चात् अपीलांटस ने अपीलाधीन निर्णय व प्राथमिक डिक्री की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत् है । अधी0न्याया0 ने विवादित आरायिजात का वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मध्य बाई मीट्स एवं बोण्ड्स के अनुसार तकासमा किये जाने के आदेश पारित किये है जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं है । यदि अपीलांटस को अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री से कोई आपत्ति थी तो वे अंतिम डिक्री पारित करने से पूर्व अधी0न्याया0 के समक्ष अपने ऐतराज पेश कर सकते थे । अधी0न्याया0 का निर्णय व प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत् है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांटस ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है । हम न्यायहित में अपीलांटस को सुना जाना न्यायोचित समझते है । अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांटस अंदर मियाद शुमार की जाती है ।

8. प्रकरण में गुणाावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण/रेस्पो0 संख्या 1 व 2 ने अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र तकासमा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् पेश किये जाने पर वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण/अपीलांटस को नोटिस जारी किये गये तथा प्रतिवादीगण/अपीलांटस ने अधी0न्याया0 में उपस्थित होकर जवाबदावा पेश किया तथा अपने जवाबदावे में कथन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1/2, 1/2 हिस्से के खातेदार होना सही है किन्तु मौके पर सहमति से विभाजन करने के तथ्य गलत अंकित किये गये है । प्रतिवादीगण/अपीलांटस द्वारा जवाबदावा पेश होने पर अधी0न्याया0 को चाहिये था कि वादपत्र में वादपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर, उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को तनकीवार निर्णित करते किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेशात्मक प्रावधानों के तहत तनकियात कायम की जाकर तथा पक्षकारों के बयान लेखबद्ध किये जाने के पश्चात् दोनों पक्षों की बहस सुनकर निर्णय व डिक्री पारित किया जाना आवश्यक है । इस प्रकार अधी0न्याया0 ने जा0दी0 के आदेश 14 के प्रावधानों के विपरीत अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की है । अधी0न्याया0 के निर्णय व प्राथमिक डिक्री के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय व प्राथमिक डिक्री में पक्षकारों के हिस्से तय नहीं किये है जबकि निर्णय में पक्षकारों के हिस्से का अंकन किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधिविरूद्ध होने से विधिसंगत नहीं मानी जा सकती है । उपरोक्त विवेचन के क्रम में अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 25.11.2014 निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक

दिनांक 25.11.2014 को निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली अधी0न्याया0 को निर्णय में दिये गये आब्जर्वेशनस् के क्रम में प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे वाद मे वादसपत्र एवं जवाबदावे के आधार पर आवश्यक तनकियात कायम कर उभयपक्ष को साक्ष्य, सबूत एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण को गुणावगुण पर निर्णित करे । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 28.6.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(बी0एल0मेहरड़ा)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर